न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 10/23 सन् 2023

RCMS NO-2023/ 56

बउनवानीः—1.योगेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री घनश्याम जाति ब्राहमण निवासी ईटावा तहसील सवाईमाधोपुर

2. सीता पत्नि घनश्याम जाति ब्राहमण निवासी ईटावा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 07 निर्णय दिनांक 23.5.1992 वाके ग्राम ईटावा, तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्ट

2. श्री विनोद कुमार शर्मा नायब तहसीलदार — पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक 28.6.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 07 निर्णय दिनांक 23.5.1992 वाके ग्राम ईटावा, तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के पिता/पति स्व0 श्री घनश्याम पुत्र रामपाल जाति ब्राहमण निवासी ईटावा के फोत हो जाने पर उसकी विरासत का नामा0 07 दिनांक 23.5.1992 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगणो से जानकारी लिये बिना ही भरकर दर्ज फैसल किया गया है जिसमे अपीलान्ट संख्या एक का नाम योगेन्द्र के स्थान पर नाथू तथा रेस्पो संख्या 2 का नाम सीता के स्थान पर गोकुल गलत दर्ज कर दिया इस आदेश जैर अपील में अपीलान्टगण का सही नाम करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा आवेदन किया गया है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक [illegible] को जमाबन्दी की नकल लेने

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:14:40 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(अपील नामा0 संख्या 10/2023 उनवानी योगेन्द्र वगै.बनाम सरकार)

पर प्राप्त हुई है। अतः जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया ।

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रथम तो अपील मयाद बहार प्रस्तुत की गयी है लगभग 30 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने का कोइ उचित कारण भी नही बताया गया है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 07 दिनांक 19.5.1992 को तस्दीक करते समय अपीलान्ट योगेन्द्र का नाम नाथूलाल, सीता का नाम गोकुल होने इत्यादि तथ्यो की पुष्टि तहसीलदार सवाईमाधोपुर से करवाया जाना उचित होगा। यदि अपीलान्टगणो का नाम सही कर दिया जावेगा तो राज्य सरकार का कोई भी हित प्रभावित नही हो रहा है।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 07 दिनांक 19.5.1992 को तस्दीक करते समय अपीलान्ट योगेन्द्र का नाम नाथूलाल एव सीता का नाम गोकुल गलत दर्ज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन के समर्थन में योगेन्द्र की मा0शि0बोर्ड की अंकतालिका व आधार कार्ड सीता का पीपीओ नम्बर 13812,मतदाता पहचान पत्र, इत्यादि पेश किये गये जिनके आधार पर आदेश जैर अपील में अपीलान्टगण के नाम गलत होने आंशिक पुष्टि होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील में अपीलान्टगण के नाम गलत दर्ज किये जाने के कारण आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने की श्रेणी मे नही आता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 07 निर्णय दिनांक 19.5.1992) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक घनश्याम पुत्र रामपाल ब्राहमण निवासी ईटावा के सभी विधिक वारिसान/अपीलान्टगण को अपना सही नाम की पुष्टि से संबंधित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने एवं सभी सहखातेदारान एवं अपीलान्टगण को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जावे यदि मृतक घनश्याम का अपीलान्टगण के अतिरिक्त ओर भी कोई विधिक वारिसान हो तो उसको भी सुनवायी का अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2024 को लिखवाया जाकर [illegible]यालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:14:40 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner